

निविदा-सह-नीलामी सूचना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उप अंचल, सासाराम के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में साइकिल, मोटर साइकिल, कार एवं अन्य वाहनों की पार्किंग हेतु उक्त स्मारक क्षेत्र में बने पार्किंग स्थल (क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर) की नीलामी हेतु दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक (एक साल) के लिए मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग की दर प्रत्येक वाहन प्रति दिवस हेतु निम्नलिखित है:-

1. साइकिल प्रथम तीन घंटा के लिए- ₹० ५/- तत्पश्चात् ₹५/- प्रति घंटा
2. दोपहिया वाहन प्रथम तीन घंटा के लिए- ₹० १०/- तत्पश्चात् ₹१०/- प्रति घंटा
3. ऑटो रिक्शा/जीप/कार प्रथम तीन घंटा के लिए- ₹० २५/- तत्पश्चात् ₹२५/- प्रति घंटा
4. बस प्रथम तीन घंटा के लिए- ₹० ५०/- तत्पश्चात् ₹५०/- प्रति घंटा

इच्छुक व्यक्ति इस बाबद निविदा प्रपत्र नियम व शर्त सहित रूपये 500/- मात्र का भुगतान कर (जो लौटायी नहीं जाएगी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल कार्यालय, सासाराम से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 08.03.2019 से 25.03.2019 तक प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा इस कार्यालय के वेबसाइट [www.asipatnacircle.gov.in](http://www.asipatnacircle.gov.in) द्वारा भी निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की स्थिति में रूपये 500/- मात्र का डिमान्ड ड्राफ्ट (निविदा राशि) अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राशि) अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, 12.30 बजे अपराह्न तक अधीक्षण पुरातत्त्वविद् का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना में अच्छी तरह भरकर जमा करना होगा। उसी दिन 01.00 बजे अपराह्न में उक्त कार्यालय में पटरिथत निविदा दाताओं के समक्ष निविदा खोली जाएगी और बोली लगायी जाएगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ 5000/- रूपये (पाँच हजार रूपये) मात्र का डिमान्ड ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी के रूप में) अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा-सह-नीलामी में उच्चतम राशि बोलने वाले सफल व्यक्ति को बोली जाने वाली राशि का का कम से कम 50 प्रतिशत तत्काल तथा शेष एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। समयावधि में भुगतान जमा नहीं करने पर उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी एवं अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी। निविदा प्रपत्र के साथ 5000/- रूपये (पाँच हजार रूपये) मात्र, जो अर्नेस्ट मनी की राशि है, सफल निविदा प्राप्त कर्ता को निविदा की अवधि 31.03.2020 के बाद उप अंचल प्रभारी द्वारा निर्गत No Damage Certificate प्राप्त होने के उपरान्त लौटायी जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.asipatnacircle.gov.in](http://www.asipatnacircle.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं।

अधीक्षण पुरातत्त्वविद् को किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।

अधीक्षण पुरातत्त्वविद्  
6/3/19

मूल्यः रुपया 500/- मात्र।  
(रुपया पांच सौ मात्र)

निविदा प्रपत्र सं0

## निविदा प्रपत्र

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, सासाराम,  
जिला—रोहतास, बिहार में वाहन पार्किंग के लिए अनुमति के मंजूरी निविदा।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति  
द्वारा— अधीक्षण पुरातत्वविद्,  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,  
पटना अंचल, जे०सी० रोड, अन्टा घाट,  
पटना—800001

मैं/हमलोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, सासाराम, जिला—रोहतास,  
बिहार में वाहन पार्किंग हेतु, ज्ञापन में अन्तर्विष्ट अवधि के लिए एवं अनुबंध के निबंधन  
एवं शर्तों के साथ अनुज्ञाप्ति के मंजूरी हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ / हैं।

- (क) विवरण — भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल सासाराम, जिला—रोहतास,  
बिहार में वाहन पार्किंग हेतु अनुज्ञाप्ति।
- (ख) अवधि — दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक की  
अवधि के लिए अनुबंध।
- (ग) अग्रिम राशि— रुपये ..... (रुपये.....)  
डी०डी० सं0
- (घ) निविदित राशि— रुपये (शब्दों में) — .....

मैं / हमलोग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ दिनांक ..... से .....  
तक की संविदा की अवधि के लिए निविदा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हमलोग अनुबंध के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो मेरे/हमलोग द्वारा पूर्णरूप से पढ़ा एवं समझा गया है। भूल/चूक की स्थिति में, मेरे/हमलोगों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, राष्ट्रपति, भारत सरकार या उनका उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाएगा। मैं/हमलोग, निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुबंध को निष्पादन का वचन देता हूँ/हैं।

मैं/हमलोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त ..... रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ अग्रिम – राशि के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं, जो अनुबंध ज्ञापन के नियम सं0 06 के तहत तथा सफल निविदा के स्थिति में, प्रतिभूति-राशि के रूप में परिवर्तित होगा जिसकी पूरी राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाए।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक:—

गवाह:—

पता एवं व्यवसाय:—

स्वामित्व, बिकी की स्थिति में निविदा स्वयं स्वामी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा। फर्म साझेदारी की स्थिति में मध्यस्थ नियम के तहत साझेदारों को आपसी अनुबंध-दस्तावेज के आधार पर, निविदा सभी साझेदारों द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता/निविदाकार किसी कम्पनी के मालिक हैं तो निविदा एवं अनुबंध पर स्वयं मालिक को हस्ताक्षर करना होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय उपरोक्त निविदा स्वीकार करता है।

## नियम एवं शर्तें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, उप अंचल, सासाराम जिला रोहतास, बिहार में दिनांक **01.04.2019** से दिनांक **31.03.2020** तक एक वर्ष की अवधि के लिए तथा वाहन-पार्किंग के लिए निर्धारित प्रपत्र का मूल्य 500/- रुपये के साथ अनुज्ञाप्ति निर्गत हेतु मुहरबंद निविदा आवंटित करता है तथा निविदाकार/निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनुबंध मान्य होगा।
2. निविदाकार/निविदाकर्ता को वाहन-पार्किंग क्षेत्र को आरंभ करने के पूर्व उचित मुल्य के स्टाम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को स्वीकार करने एवं उसके पातन के लिए प्रतिबद्धता हेतु लिखित अनुबंध करना होगा। स्टाम्प पेपर एवं निबंधन शुल्क का खर्च स्वयं निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा स्वीकार करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदाकार के अग्रिम राशि को जब्त करते हुए उनके सफल दावे को निरस्त समझा जायेगा एवं यह कार्यालय किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार किया जाएगा उन्हें संविदा-प्रपत्र में दर्शाये गये अनुज्ञाप्ति के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
4. दिनांक **26.03.2019** को **12.30** बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन **01.00** बजे अपराह्न\_अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकर्ता/डाककर्ता के उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी एवं उपस्थिति निविदाकर्ता के समक्ष बोली लगायी जाएगी।
5. अव्यस्क द्वारा दी गई निविदा तबतक स्वीकार नहीं होगा जबतक कि उसकी ओर से अभिभावक द्वारा निविदा हस्ताक्षरित नहीं होगा।
6. निविदाकार/निविदाकर्ता को अग्रिम राशि के रूप में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त 5000/- (रुपया पाँच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल विनिविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यह अग्रिम राशि, किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार होगा उसका अग्रिम राशि के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट लौटाया नहीं जाएगा तथा ये राशि प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित समझा जाएगा। वैसे सफल निविदाकार की अग्रिम राशि, जो अनुज्ञाप्ति को अस्वीकार करेगा या जो अनुबंध-निष्पादन में असफल होगा या जो निविदा शुल्क जमा नहीं करेगा, जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त पार्किंग स्थल एक विशेष अवधि दिनांक **01.04.2019** से दिनांक **31.03.2020** तक अनुज्ञाप्ति पर दी जाएगी, जो अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. निविदा अगर किसी फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्था के प्रत्येक साझेदार द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होंगा। किसी साझेदार की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा तथा संस्था के साझेदारों को स्पष्ट करना होगा कि संस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

9. निविदा में दर्शाये गये राशि रूपये में लिखना होगा जिसे अंकों एवं शब्दों में भी दर्शाना होगा।
10. किसी भी परिस्थिति में निविदा शुल्क में कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी।
11. अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल को बिना कोई कारण दर्शाये निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. चूंकि यह समझा जाएगा कि निविदाकार निविदा के पहले अनुबंध में दर्शाये गये सभी निबंधन एवं शर्तों को अध्ययन कर लिया है तथा उसे अनुपालन हेतु मान्य है।
13. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को उपरोक्त कार्य हेतु अनुज्ञाप्ति अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. ज्योंही सफल निविदाकार की निविदा स्वीकार्य होगी उन्हें अग्रिम के रूप में अनुज्ञाप्ति राशि जमा करना होगा, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना में देय होगा।
15. अनुज्ञाप्ति राशि प्राप्त होने तथा अनुबंध निष्पादन के बाद ही प्रस्तावित पार्किंग स्थल सफल निविदाकार को सौंपा जाएगा।
16. नगरपालिका बोर्ड के नियमों को, यदि कोई नियम है, तो उसे पालन करना होगा तथा किसी प्रकार का उल्लंघन के लिए स्वयं निविदाकार उत्तरदायी होगा।
17. प्रत्येक निविदाकार, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल पटना को संबोधित करेंगे।
18. निविदाकार उक्त पार्किंग स्थल को किसी उप पट्टा पर नहीं लगाएगा।
19. अनुज्ञाप्ति के समाप्त होने या उसके पूर्व समाप्ति पर निविदाकार द्वारा परिसर को खाली कर शांतिपूर्वक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना को सौंपना होगा।
20. निविदाकार का कोई भी कर्मचारी, स्मारक के आस—पास अनावश्यक रूप से नहीं घूमेगा और न ही शोरगुल करेगा तथा किसी पर्यटक एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करेगा।
21. निविदाकार किसी प्राकर का कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण कार्य नहीं करेगा तथा प्राचीन स्मारक एवं उसके गार्डन/परिसर को किसी प्राकर का क्षति नहीं पहुँचाएगा।
22. निविदाकार परिसर को साफ—सुथरा रखेगा तथा ऐएम०ऐस०आर० 1958 अधिनियम 1959 का उल्लंघन नहीं करेगा।
23. निविदाकार को अपनी सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करना होगा तथा उसके क्षति होने की स्थिति में अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना उत्तरदायी नहीं होगा।
24. बिना सूचना के अनुज्ञाप्ति रद्द की जा सकती है तथा जिसके लिए समानुपातिक प्रतिभूति किया जाएगा।

25. स्मारक के बन्द एवं खोलने की अवधि तक ही पार्किंग स्थल पर पार्किंग संबंधित कार्य करना होगा। यदि निविदाकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई शिकायत मिलती है और अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना द्वारा सही पाया जाता है तो अनुज्ञाप्ति राशि लौटाए बिना अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा अनुज्ञाप्ति राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जैसा कि उपरोक्त पैरा-2 में अन्तर्विष्ट है।
26. किसी विवाद की स्थिति में विवाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मैं, उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता हूँ।

(निविदाकार का हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता